मध्य प्रदेश में अतिक्रमण की गई/अप्राधिकृत रूप से कब्जा की गई भूमि का व्यवस्थापन

1990. **श्री राधाकिशन मालवीय:**
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में अतिक्रमण की गई या अप्राधिकृत रूप से कब्जे वाली वन-भूमि का व्यवस्थापन कब तक किया जाएगा;

(ख) क्या दिनांक 24 अक्तूबर, 1980 के पूर्व पट्टे पर दिए गए वन ग्रामों का पट्टों का नवीनीकरण संबंधी विषय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की परिधि में आता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को मध्य प्रदेश से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए है, यदि हां, तो उन्हें कब तक स्वीकृत किया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) मध्य प्रदेश के मामले में राज्य के विभिन्न जिलो में लगभग 1.03 लाख हैक्टेयर वन भूमि के अधिक्रमण के नियमित किए जाने के संबंध में मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1990 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पहले ही औपचारिक सहमति प्रदान की जा चुकी है। राज्य सरकार ने लगभग 1.81 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त वन क्षेत्र के अधिक्रमण प्रस्ताव में निर्धारित की गई शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। इस मुद्दे को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव स्तर पर उठाया गया है।

(ख) और (ग) वनों के निकट के गांवों के संबंध में मंजूर की गई पट्टे की लीज अवधि की समाप्ति के पश्चात् लीज के आगे नवीकरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं तथा अंतिम निर्णय के लिए लम्बित हैं। मंत्रालय ने जनवरी, 1997 में 1346 वनों के निकटवर्ती गांवों में 30.617 पट्टों के नवीकरण हेतु 15 साल की अवधि के लिए अनुमति प्रदान की थी।

Allotment of Forest land to Private Parties for Development

1991. SHRI DEBABRATA BISWAS: Will the Minister ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the general policy and criteria for allotment of forest land to the private parties for its development;

(b) whether revenue is collected on such land by State Government;

(c) if so, the detail thereof;

(d) the forest land given to the private parties for its development in West Bengal during 1995-96 and 1996-97; and

(e) the revenue collected therefrom?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIORNMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) Any scheme or project which involves assignment of forest land by way of lease or similar arrangment, for any purpose whatsoever, inlcuding afforestation, to any private person or to any authority/agency/roganisation not fully owned, managed or controlled by the Government (such as private or joint sector ventures) shall attract the provision of Forest (Conservation) Act, 1980 and therefore prior approval of Central Government is required.

(b) and (c) The condition of lease including lease rent/cost of land to be realised from the lesee are decided by the State Government. Such information is not compiled/collated by the Central Government.

(d) In West Bengal, 8.9 ha. of forest land was diverted to private parties during 1995-96. During 1996-97 no forest land was diverted.

(e) The State Government has been asked to furnish the information.

Progress Made in Respect of Ganga Cleaning Project

1992. SHRI DEBABRATA BISWAS: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the progress made on the Ganga Cleaning Project;